डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

0न0 – 52 / 2020

नवान : –

1. अंकित पुत्र हरिकिशन उर्म 32 साल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. हरिकृष्ण पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा

:—असल प्रतिवादीगण

2. मुस्मात मनोजदेवी पुत्री हरिकृष्ण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. ममतादेवी पुत्री हरिकृष्ण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. प्रियंका देवी पुत्री हरिकृष्ण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
5. कविता देवी पुत्री हरिकृष्ण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
6. मोनिका देवी पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

:—तरतीबी **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री बलवंत सिंह व वकील प्रतिवादीगण श्री जाकीर हुसेन की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिकी किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक नं0 8 जोगीवाला में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हरिकृष्ण के खाता संख्या 146 / 106 की कुल 16.2550 है0 में 3589 / 16255 हिस्सा है तथा चक 7 जोगीवाला के ख़ाता संख्या 68 / 89 में 8.8420 है0 में 1953 / 8842 हिस्सा है में से वादी अंकित व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का दोनों चकों की भूमि में 1 / 7 हिस्सा है चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपना 1 / 7 हिस्सा वादी अंकित के पक्ष में तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 हरिकृष्ण अकेले के बजाय वादी अंकित 6 / 7 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 हरिकृष्ण 1 / 7 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:56:16 IST
Reason: SelfAttested